कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 69 / 2017 / 10–11 / 13 / 854 भोपाल, दिनांक 22-03-18

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर सामान्यवनमंडल
शहडोल, म.प्र.

विषयः– शहडोल जिले के अन्तर्गत बिछली नाला सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 8.6 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त शहडोल का पत्र क्रमांक / माचि / 2018 / 1834 दिनांक 11.03.2018

––0––

विषयांतर्गत में संदर्भित पत्र के माध्यम से शहडोल जिले के अन्तर्गत बिछली नाला सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 8.6 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत् प्रस्ताव की हार्डकॉपी 03 प्रतियों में प्राप्त हुई है। हार्डकॉपी के अवलोकन में निम्न अभिलेख नहीं पाये गये हैं :–

1. प्रस्ताव की हार्ड कॉपी व्यवस्थित नहीं है एवं पेजिंग भी नहीं की गई है।
2. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में आवेदक का प्राधिकृत पत्र संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में प्रभावित वन भूमि 8.6 हेक्टेयर की 1:50,000 स्केल के मानचित्र पर सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट की मूल प्रति संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में प्रभावित वन भूमि 8.6 हेक्टेयर का जिओ रिफरेंस मैप की मूल प्रति हस्ताक्षरित संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में प्रस्तावित योजना की विस्तृत टीप संलग्न नहीं है एवं प्रभावित क्षेत्र न्यूनतम होने बाबत् अन्य विकल्पों का तुलनात्मक पत्रक एवं अन्य विकल्पों को प्रभावित वन क्षेत्र सहित दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में लागत लाभ विश्लेषण पत्रक भारत सरकार के निर्देशानुसार फार्म A, B एवं C संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में प्रभावित वन भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों की सूची संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में गैर वन भूमि हस्तांतरण का कलेक्टर शहडोल का आदेश संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में गैर वन भूमि का जिओ रिफरेंस मैप की मूल प्रति हस्ताक्षरित संलग्न नहीं है।
10. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में गैर वन भूमि की 1:50,000 स्केल के मानचित्र पर सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट की मूल प्रति संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में प्रभावित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की जानकारी प्रस्ताव के भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 4 (ii), 4(iii) एवं 4(iv) के अनुसार FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर की जानकारी संलग्न नहीं है।
12. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 07 वर्षीय संलग्न की गई है, जिसमें निरीक्षण व्यय 10 प्रतिशत का प्रावधान किया है जबकि शासकीय विभागों से निरीक्षण व्यय नहीं लिया जाना है। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 10 वर्षीय तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न करें। वेबपोर्टल पर भी योजना अपलोड करावें।
13. प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने हेतु गैर वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, संलग्न करें। वेबपोर्टल पर भी प्रमाण पत्र अपलोड करावें।

–2–

14. प्रस्ताव में ऑनलाईन भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 16 में केवल व.म.अ.का पत्र संलग्न है, जबकि प्रस्ताव के भाग–2 की प्रति हस्ताक्षरित वेबपोर्टल पर अपलोड की जाना थी। अतः अब प्रस्ताव के भाग–2 की प्रति हस्ताक्षरित वेबपोर्टल के अतिरिक्त कॉलम में अपलोड की जावे।

अतः उपरोक्त अभिलेख हार्डकॉपी में संलग्न नहीं होने से प्रस्ताव की तीनों हार्डकॉपी संलग्न कर वापस भेजी जा रही हैं। अब प्रस्ताव के भाग–1, भाग–2 एवं भाग–3 के अनुसार अभिलेख निर्देशानुसार तीनों हार्डकॉपी में संलग्न कर शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।
(प्रस्ताव की तीन प्रति)

21/3/18
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 69 / 2017 / 10–11 / 13 / 855 भोपाल, दिनांक 22-03-18
प्रतिलिपिः–

1–मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त शहडोल, मध्यप्रदेश।

2–कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शहडोल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21/3/18
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल